

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5207 का उत्तर

तिरुपति में सड़क उपरिपुल

5207. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राँव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का तिरुपति रेलवे खंड में नया रेल सड़क उपरिपुल (आरओबी) बनाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) दक्षिण मध्य रेलवे के गुडूर और विजयवाड़ा मंडल में वेंकटाचलम से वेद्यापालेम के मध्य 158/6/6 किमी. पर समपार गेट सं. 107, गुंटक्कल मंडल में गुडूर-रेणीगुंटा के मध्य वेंकटगिरि रेलवे स्टेशन पर 35/3133 किमी. पर स्थित समपार गेट सं. 16 और दक्षिण मध्य रेलवे-गुंटक्कल में पेरपेड और वेंकटगिरि (एनएच सं. 565) के मध्य 71/1.3 किमी. पर स्थित समपार गेट सं. 36 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): तिरुपति रेलवे स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, इस स्थान पर आरओबी का निर्माण कार्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। बहरहाल, लागत में भागीदारी के आधार पर तिरुपति स्टेशन यार्ड में समपार सं. 104 के स्थान पर निचले सड़क पुल (आरयूबी) के निर्माण को बजट 2019-20 में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, तिरुपति-चंद्रागिरी स्टेशन के बीच समपार सं. 96 एवं 100 के स्थान पर रेलवे लागत पर 2 आरयूबी के निर्माण को भी बजट 2019-20 में शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ख): समपार के स्थान पर निर्माण कार्यों का का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) वेकंटाचलम से वेदयापालेम के बीच किमी 158/6-8 पर समपार सं. 7: लागत में भागीदारी के आधार पर आरओबी का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार से लागत में भागीदारी, समपार को समाप्त करने और संरेखण योजना के लिए सहमति अभी प्रतीक्षित है।

(ii) गुदूर-रेनीगुंटा के बीच वेकंटागिरी रेलवे स्टेशन पर किमी 38/23-25 पर समपार सं. 16: इस समपार को राज्य सरकार की सहमति से किमी 35/31-33 पर समपार सं. 14 को डाइवर्जन के जरिए बंद किया गया है।

(iii) यरपेड और वेकंटागिरी (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565) के बीच किमी 71/02-04 पर समपार सं. 36: यह समपार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, 10.11.2014 को रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एकल इकाई के आधार पर अपनी लागत से ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी)/ निचले सड़क पुलों (आरयूबी) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के सभी समपारों को बदला जाएगा।
